7. प्रबंधन समिति

संबंधन कारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार गठित प्रत्येक संस्था की एक प्रबंधन समिति होगी। यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं है तो संस्था प्रबंधन समिति का गठन अपने आप करेगी। इस समिति में संबंधित सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षाविद् अध्यापक–शिक्षक, संबंधन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

परिशिष्ट–5

शिक्षा में मास्टर(एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

शिक्षा (एम.एड) कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विवर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षा–व्यवसायियों को तैयार करना है जिसमें पाठ्यचर्या निर्माता, शिक्षा–नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, पर्यवेक्षक, विद्यालय–प्राचार्य और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) या माध्यमिक शिक्षा (कक्षा VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा एम.एड की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. आवेदन के लिए पात्र संस्थाएं

(i) न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और **नैक** या किसी **राअशिप** द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के शिक्षा–विभाग

3. अवधि एवं कार्य दिवस

3.1 अवधि

शिक्षा एम.एड कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य तथा लघु शोध पत्र समेत दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। विद्यार्थियों को इस द्विवर्षीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकम में दाखिले की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति होगी। क्षेत्रीय कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/अन्य गतिविधियां ग्रीष्म ऋतु में करायी जानी चाहिए।

3.2 कार्य–दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर तथा कक्षा संचालन प्रायोगिक कार्य परीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन एवं परीक्षा के आयोजन समेत प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे। संस्थान सप्ताह (पाँच या छः दिन) में न्यूनतम 36 घंटे कार्य करेगा। इस दौरान कार्यक्रम से सम्बद्ध अध्यापक एवं विद्यार्थी अंतःक्रिया, संवाद, परामर्श एवं मार्ग दर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य के लिए 80% तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए 90% न्यूनतम उपस्थिति होगी।

4. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

4.1 प्रवेश

इस कार्यक्रम की मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक संस्थान को केवल एक इकाई रखने की अनुमति होगी। अतिरिक्त इकाई की अनुमति केवल बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही संस्थान ने तीन वर्षों तक यह कार्यक्रम चलाया हो और उसे **नैक** अथवा **राअशिप** द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड दिया गया हो।

4.1 पात्रता

(ए) बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए–

(i) बी.एड

(ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

(iii) बी.एल.एड

(iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

(बी) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

कार्यक्रम में प्रवेश अर्हर परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीतियों के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा।

4.4 फीस

संस्थान केवल वही फीस लेगा जो राअशिप (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम का कार्यान्वयन और मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

एम.एड. कार्यक्रम का निर्माण/रूपांकन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के विस्तार के साथ ही उसे और भी गहरा करने एवं शिक्षा को भलीभांति समझने, निश्चित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने तथा शोध–क्षमता विकसित करने; जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता मिलती है, का अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। द्विवर्षीय एम.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे: 1) सांझा *पाठ्यक्रम* जिसमें

परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम, टूल पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा एक आत्म–विकास अवयव होगा; 2) *विशेषज्ञता शाखाएं* जहां विद्यार्थी विद्यालयी स्तरों/क्षेत्रों (जैसे प्रारंभिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक) में से किसी एक का चुनाव करें; 3) *लघु शोध प्रबंध के लिए शोध; 4) क्षेत्रीय कार्य/प्रशिक्षुता।* प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम (जिनका क्रेडिट लगभग 60% होगा) और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम होंगे तथा लघु प्रबंध के लगभग 40% क्रेडिट होंगे।

(ए) सैद्धान्तिक (कोर) पाठ्यक्रम

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम कोर पाठ्यक्रमों और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में विभाजित है। मुख्य आधारभूत पाठ्यक्रमों में परिप्रेक्ष्य, टूल पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम इन क्षेत्रों में शामिल होंगे: शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, इतिहास–राजनीतिक अर्थशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा अध्ययन तथा पाठ्यचर्या अध्ययन। *टूल पाठ्यक्रम* में बुनियादी और उन्नत स्तरीय शिक्षा शोध, शैक्षिक/पेशेवर लेखन और सम्प्रेषण कौशल तथा शैक्षिक तकनीक समेत आईसीटी में कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। *शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम* (जो किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता सहयोजन के साथ से भी जुड़े होंगे) भी कोर पाठ्यक्रम में शामिल होंगे।

विशेषज्ञता घटक/शाखाएं विद्यार्थियों को विद्यालय स्तरों में से किसी एक – प्रारंभिक शिक्षा (VIII तक), या माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक (VIII से XII) में विशेषज्ञता प्रदान करेंगी। विद्यालय स्तर विशेषज्ञताओं में शामिल पाठ्यक्रम उस स्तर के संगत निश्चित विषयगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व/को शामिल करेगा जैसे: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; नीति; अर्थशास्त्र और योजना; शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन; विद्यार्थियों की शिक्षा; इत्यादि। अन्य विशेषज्ञताओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। विशेषज्ञता के क्षेत्र के संदर्भ में प्रासंगिक क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/सहयोजन कार्यक्रम के दौरान का आयोजन किया जाएगा।

लिंग, विक्लांगता और हाशियाकरण पर आलोचनात्मक चिंतन कोर और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों का हिस्सा होगा। उसी प्रकार सीआईटी से सम्बद्ध कौशल और शैक्षिक तकनीक को भी कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके इतर, योग शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(बी) प्रायोगिक कार्य

विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशल और समझ में बढ़ोतरी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, प्रायोगिक गतिविधियां और संगोष्ठियां पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के शिक्षण–प्रविधि का हिस्सा होंगी।

(सी) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और सम्बद्धता

क्षेत्रीय सहयोजन/स्थानबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों एवं संस्थाओं की मदद से की जाएगी। इनका लक्ष्य विद्यार्थियों को क्षेत्र–आधारित परिस्थितियों से जोड़ना तथा शिक्षा के प्रारंभिक एवं अन्य स्तरों पर कार्य करना तथा इन पर चिंतन और लेखन का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी द्वारा चयनित विशेषज्ञता क्षेत्र में किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में सुव्यवस्थित क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में अनुशिक्षण कक्षाओं, निर्देशित पठन समूह, क्षेत्रीय कार्य, तथा निर्देशित लघु शोध प्रबंध के रूप में प्रासंगिक क्षेत्रों में संकाय द्वारा गहन परामर्श दिया जाना चाहिए।

5.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

संस्थान को इस व्यावसायिक कार्यक्रम (एम.एड.) की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा--

(i) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य समेत सभी गतिविधियों के लिए एक कैलेण्डर तैयार करना। एम.एड. कार्यक्रम का कैलेण्डर स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य के लिए अभिनिर्धारित संस्थानों के शैक्षिक कैलेण्डर के समकालिक होगा।

(ii) लघु शोध प्रबंध जो कि प्राथमिक क्षेत्रीय आंकड़ों या द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हो अथवा एक आलेख जिसमें स्वीकृत विषय पर एक विस्तृत विचारशील और आलोचनात्मक निबंध शामिल हो, का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य होगा।

(iii) लघु शोध प्रबंध के संचालन के लिए, दिशानिर्देश और परामर्श के लिए छात्रों के प्रति संकाय का अनुपात 1:5 होगा।

(iv) एम.एड. के विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से शैक्षिक स्थलों/क्षेत्रों से कम से कम चार सप्ताह के लिए जोड़ा जाएगा, जिस पर वे एक विचारशील प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सुझाए गए स्थल/क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

(क) व्यावसायिक सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

(ख) एक संगठन जो अभिनव पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के विकास में संलग्न हो।

(ग) पाठ्यचर्या निर्माण; पाठ्यपुस्तक के विकास; शिक्षा नीति की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन; शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य संस्थान।

(घ) सेवारत विद्यालयी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(v) संस्थान समय–समय पर संगोष्ठियों, वाद–विवाद, व्याख्यानों के आयोजन तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए परिचर्चा समूह के गठन द्वारा शिक्षा में संवाद को बढ़ावा देंगे। साप्ताहिक शोध परिचर्चा/संगोष्ठी में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(vi) संस्थान में विद्यार्थियों और अध्यापकों की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा विवादों के निपटारे के लिए तंत्र और प्रावधान होंगे।

(vii) ऐसे स्थानों पर जहां पाठ्यक्रम से वस्तुतः सम्बद्ध संकाय के अलावा अन्य संकाय को संस्थान के कार्य में सहयोजित किया जाएगा, तंत्र तैयार किए जाने होंगे।

5.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए, कम से कम 30% भारांक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए तथा 70% भारांक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए होंगे। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम दोनों) के लिए भारांक उपर्युक्त सूत्र के आधार पर संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वैयक्तिक/सामूहिक समनुदेशन, संगोष्ठी में प्रस्तुति, क्षेत्रीय कार्य की मूल्यांकन रिपोर्टें आदि आंतरिक मूल्यांकन का आधार हो सकते हैं। कुल अंकों/केडिटों/भारांकों का एक–चौथाई, प्रायोगिकी, स्थानबद्ध प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य और लघु शोध प्रबंध के लिए होगा।

6. स्टाफ

6.1 अध्यापक

प्रति इकाई 50 विद्यार्थियों के प्रवेश पर, द्विवर्षीय कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों के लिए संकाय –विद्यार्थी अनुपात 1:10 होगा। संकाय के पद पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत होंगे–

1.	प्रोफेसर	दो
2.	सह प्रोफेसर	दो
3.	सहायक प्रोफेसर	छः

अध्यापकों की नियुक्ति पाठ्यचर्या में प्रदत्त सभी आधारभूत और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए की जाएगी। एम.एड. कार्यक्रम चलाने वाले किसी महाविद्यालय का प्राचार्य प्रोफेसर के पद और वेतनमान पर होगा।

6.2 अर्हता

ए. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

(i) संबंधित अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधि

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ एम.एड.

(iii) शिक्षा में पीएच.डी

(iv) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव

बी. प्रोफेसर एवं सह प्रोफसर

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुशासन में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम.ए)।

(iii) शिक्षा या विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि।

(iv) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता जैसे नेट परीक्षा या प्रोफेसर तथा असोसिएट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी या राज्य सरकार के मानकों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षण अनुभव।

(सी) सहायक प्रोफेसर

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में न्यूनतम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम. ए)

(iii) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य अर्हता जैसे नेट परीक्षा।

(टिप्पणी: संकाय की सेवाओं का प्रयोग नमनशील तरीके से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता इस्टतम की जा सके।)

6.3 प्रशासनिक एवं व्यावसायिक सहयोग सहायता स्टाफ

(ए) निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध कराए जाएंगे:

(i)	कार्यालय प्रबंधक	एक
(ii)	आईटी कार्यकारी/अनुरक्षण स्टाफ	एक
(iii)	पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयक	एक
(iv)	कार्यालय सहायक	दो
(v)	सहायक	एक

(बी) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होगी।

6.4 सेवा के नियम एवं शर्तें

चयन प्रक्रिया, वेतन मान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य भत्तें समेत शिक्षण एवं गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा के नियम एवं शर्तें राज्य सरकार/सम्बद्ध निकाय की नीति के अनुसार होगी।

7. सुविधाएं

7.1 बुनियादी सुविधाएं

एक संस्थान जो पहले ही एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और एम.एड. के लिए एक आधार इकाई का प्रस्ताव रखता है तो उसके पास कम से कम 3000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। निर्मित क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर का होगा। एक आधार इकाई के अतिरिक्त प्रवेश के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर होगा।

(क) क्लास रूम

50 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कम से कम दो क्लास रूमों का प्रावधान होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्थान और फर्नीचर होंगे। कक्षा का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा। संस्थान में अनुशिक्षण कक्षाओं तथा सामूहिक चर्चाओं के आयोजन के लिए 30 वर्गमीटर के कम से कम तीन कमरे होंगे।

(ख) संगोष्ठी कक्ष

संस्थान में बहुउद्देशीय हॉल होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में एक संगोष्ठी कक्ष होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और उसका क्षेत्र कम से कम 100 वर्गमीटर होगा। यह हॉल संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पूर्णतया सुसज्जित होगा।

(ग) संकाय कक्ष

प्रत्येक अध्यापक के लिए एक अलग केबिन होगा जिसमें एक कार्यरत कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान होगा।

(घ) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्थान

संस्थान कार्यालयी स्टाफ के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएगा, जिसमें फर्नीचर; भंडारण स्थान एवं कम्प्यूटर की सुविधा होगी।

(ड.) कामन रूम

संस्थान कम से कम दो पृथक कामन रूम होंगे, एक पुरूषों के लिए और एक महिलाओं के लिए।

7.2 उपकरण एवं सामग्री

(ए) लाइब्रेरी

संस्थान/विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सांझा होगा तथा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसमें एम.एड. कार्यक्रम के लिए कम से कम 1000 पुस्तकें (प्रासंगिक पाठ्यपुस्तकों की कई प्रतियां) होंगी, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं एम.एड. कार्यक्रम में नियोजित उपागमों संबंधी साहित्य; शैक्षणिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी–रोम) जिसमें ऑनलाइन संसाधन तथा कम से कम पाँच शोध–पत्रिकाएं जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो, होंगी। पुस्तकालय के संसाधनों में राअशिप, एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं शोध–पत्रिकाएं होंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान तथा संदर्भ खंड की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में मंगायी जाएंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए फोटोकॉपी की सुविधा तथा इन्टरनेट की व्यवस्था होगी।

(बी) संसाधन केन्द्र

एक विशेष संसाधन केन्द्र संसाधन केन्द्र सह विभागीय पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे शिक्षण–अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति दस्तावेजों की प्रतियां और आयोगों के प्रतिवेदन; प्रासंगिक पाठ्यचर्या दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकड़े; अध्यापकों की पुस्तके; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं; क्षेत्रीय प्रतिवेदन तथा शोध–संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य–दृश्य उपकरण – टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दों से जुड़ी रिकार्डिंग यंत्र; तथा ऐच्छिक रूप से आरओटी (आरओटी) (सैटेलाइट रिसीव ओनली टर्मिनल) एवं (एसआईटी) (सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल) भी उपलब्ध कराएगा।

टिप्पणी: 7.1 एवं 7.2 में वर्णित उपर्युक्त सुविधाएं संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पहले से दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

7.3 अन्य सुविधाएं

(ए) निर्देशन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में सुचारू एवं समुचित प्रयोगशालाएं एवं फर्नीचर।

(बी) वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।

(डी) परिसर, जल संसाधनों, शौचालयों (पुरूष, महिला एवं अध्यापक के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ–सफाई की प्रभावी व्यवस्था, फर्नीचर के रख–रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था।

(टिप्पणी: यदि शिक्षक शिक्षा के एक से अधिक कार्यक्रम एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में चलाए जा रहे हों तो खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) आदि में हिस्सेदारी की जा सकती है। संस्थान में एक प्राचार्य होगा तथा विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यक्ष होंगे।)

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसमें बारी बारी से प्रायोजक सभा/प्रबंधक सभा/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद्, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य क्षेत्रीय कार्य के लिए चयनित दो संस्थानों के प्रमुख होंगे।

परिशिष्ट–6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)कार्यक्रम स्कूल शिक्षा के प्रारम्भिक चरण के लिए कक्षा **(कक्षा** I-VIII) शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने के लिए एक व्यावसायिक कार्यक्रम है ।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्य दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर परंतु परीक्षा अवधि समेत कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे तथापि, प्रत्येक सप्ताह कम से कम छत्तीस घंटे कार्य किया जाएगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रकिया

3.1 दाखिला

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

उच्च माध्यमिक स्कूल (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा, कम से कम 50: अंकों के साथ पास। तथापि, 5 प्रतिशत अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशतता और अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण में और अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी ।